

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या : 312/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/449)

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|------|--|
| 1. कृष्ण चन्द पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |
| 2. आदराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। | | |
| 3. राजो देवी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। | | |

तारीख रजू:- 21.12.2023

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 08.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07, राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/17, राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 06/05 व राजस्व ग्राम 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 182/157 में वादीगण के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादी संख्या 2 का नाम क्रमशः आदुराम, आदुराम आदराम, वादी संख्या 1 का नाम क्रमशः कृष्णचन्द, कृष्णकुमार, व वादी संख्या 3 का नाम क्रमशः रजोदेवी, राजोदेवी, रजोदेवी, राजा अंकित है। वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः आदराम, कृष्ण चंद, राजो देवी है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में भी नाम क्रमशः आदराम, कृष्ण चंद, राजो देवी अंकित है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 में अंकित नाम कृष्ण के स्थान पर कृष्ण आदुराम के स्थान पर आदराम, रजोदेवी के स्थान पर राजोदेवी व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/17 में अंकित नाम आदुराम के स्थान पर आदराम व राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी,



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 06/05 में अंकित नाम कृष्णकुमार के स्थान पर कृष्णचन्द व राजस्व ग्राम 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 182/157 में अंकित नाम राजा के स्थान पर राजो देवी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 735 दिनांक 13.03.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। वादी संख्या 1 की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस में नाम कृष्णचंद, वादी संख्या 2 के आधार कार्ड में नाम आदराम व वादी संख्या 03 के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड में नाम राजोदेवी अंकित है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/17 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 06/05 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 182/157 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 में अंकित नाम कृष्ण के स्थान पर कृष्णचंद, आदुराम के स्थान पर आदराम, रजोदेवी के स्थान पर राजोदेवी व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/17 में अंकित नाम आदूराम के स्थान पर आदराम व राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 06/05 में अंकित नाम कृष्णकुमार के स्थान पर कृष्णचन्द, रजोदेवी के स्थान पर राजोदेवी व राजस्व ग्राम 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 182/157 में अंकित नाम राजा के स्थान पर राजो देवी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः कृष्ण चंद, आद राम, राजो देवी दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। वादी संख्या 1 की आर.सी., आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस में नाम कृष्णचंद, वादी संख्या 2 के आधार कार्ड में नाम आदराम व वादी संख्या 03 के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड में नाम राजोदेवी अंकित है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।



उपकरण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/07 में अंकित नाम कृष्ण के स्थान पर कृष्ण उर्फ कृष्णचंद, आदुराम के स्थान पर आदुराम उर्फ आदराम, रजोदेवी के स्थान पर रजोदेवी उर्फ राजोदेवी व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/17 में अंकित नाम आदूराम के स्थान पर आदूराम उर्फ आदराम व राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 06/05 में अंकित नाम कृष्णकुमार के स्थान पर कृष्णकुमार उर्फ कृष्णचंद, रजोदेवी के स्थान पर रजोदेवी उर्फ राजोदेवी व राजस्व ग्राम 15 एस, पटवार हल्का 14 एस, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 182/157 में अंकित नाम राजा के स्थान पर राजा उर्फ राजो देवी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ़्तर/ लेख भण्डार जमा हो।


{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

